भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3057
दिनांक 07 अगस्त 2025

तेल और गैस कंपनियों द्वारा व्यय की गई सीएसआर निधि

†3057. **श्री ए. राजाः**
श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान विशेषकर कर्नाटक में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के व्यय किए जाने का कंपनीवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चित्रदुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सीएसआर निधि व्यय की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा उक्त अवधि के दौरान सीएसआर निधि प्राप्तकर्ताओं का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों से सीएसआर निधि के लिए प्राप्तकर्ताओं का चयन करने हेतु अपनाए गए मानदंडों का कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पेट्रोलियम कंपनियों की सीएसआर निधि कार्यकलापों में पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट की गई अनियमितताओं का कंपनीवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): तेल और गैस के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता और पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण उन्मुख पहल और बुजुर्गों तथा दिव्यांगजनों की देखभाल करने पर विशेष ध्यान देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत पहचाने गए शीर्षों के तहत नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलाप करते हैं। सीएसआर एक बोर्ड आधारित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को सीएसआर समिति की अनुशंसा के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, निर्णय लेने, निष्पादन करने और निगरानी करने का अधिकार है। कंपनियों द्वारा स्वयं अथवा कंपनी अधिनियम के सीएसआर नियमों की धारा 135 में परिभाषित मानदंडों के आधार पर किसी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सीएसआर क्रियाकलाप किए जाते हैं। कर्नाटक में चित्रदुर्गा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी जिलों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान खर्च की गई नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि का प्राप्तकर्ताओं के विवरण सहित कंपनी-वार, परियोजना-वार ब्यौरे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की संबंधित वेबसाइट अर्थात www.ongcindia.com, www.iocl.com, www.bharatpetroleum.com, www.hindustanpetroleum.com, www.gailonline.com और www.oil-india.com पर उपलब्ध हैं।

सीएसआर निधि खर्च करने के मानदंड कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय और संबंधित कंपनी की सीएसआर नीति द्वारा जारी सीएसआर व्यय के दिशानिर्देश द्वारा शासित होते हैं। तेल और गैस पीएसयूज द्वारा सूचित गया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान सीएसआर निधि संबंधी कार्यकलापों में किसी भी तरह की अनियमितताएं रिपोर्ट नहीं की गई हैं।

*****